इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021—ज्येष्ठ 20, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-02-2021-1-पांच-(29).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है.
- (2) ये नियम दिनांक 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- (एक) नियम 59 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(6) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—
 - (क) िकसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं िकया जाएगा, यदि उसने पिछले दो महीने के लिये प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की हैं;
 - (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही की विवरणी भरना अपेक्षित है, धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने पिछले वर्ष के लिये प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे नियम 86 ख के अधीन, ऐसी कर देयताओं के निन्यानवे प्रतिशत से अधिक अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है, धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने पिछली कर अविध के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-02-2021-1-पांच-(29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2021-1-पांच-(29), दिनांक 10 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2021

No. F-A-3-02-2021-1-V (29).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendation of the Council, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) These rules shall deemed to have come into force with effect from the date 1st January 2021.

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (i) in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :--
 - "(6) Notwithstanding anything contained in this rule,—
 - (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two months;
 - (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of Section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding year;
 - (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine percent of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.